इससे पहलेः जी. सी. गर्ग और ए. एल. बहरी, जे. जे.

सत्य पाल सिक्का- **पेटिटियोर।**

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और।- **उत्तरदाता।**

1993 *का* सी. डब्ल्यू. पी. 2280।

7 अप्रैल, 1993

भारत का संविधान।1950–अनुच्छेद 226-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-धारा 13 (1) (डी)-हरियाणा सिविल।सेवा दंड और अपील नियम, 1987-अनिवार्य सेवानिवृत्ति-विभागीय जाँच-सरकारी कर्मचारी को जाँच अधिकारी द्वारा सभी आरोपों से बरी किया गया-जाँच अधिकारी हालांकि यह देखते हुए कि कुछ खरीद सरकारी निर्देशों के विपरीत की गई थी, हालांकि कार्रवाई बैंक के हित में थी-चेतावनी देने वाले प्राधिकरण को दंडित करना-सरकार के निर्देशों को पदोन्नति के लिए बाधा नहीं बनाना-एफ. आई. आर. ने भ्रष्टाचार निवारण की धारा 13 (1) (डी) के तहत पंजीकृत किया।उन्हीं आरोपों पर कार्रवाई की जाती है-सेवा रिकॉर्ड अच्छा पाया जाता है और ईमानदारी की कोई रिपोर्ट संदिग्ध नहीं होती है-जांच पूरी होने के बाद कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जाती है-अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देते समय सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी को दोषमुक्त करने वाले जांच अधिकारी की रिपोर्ट-अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अवैध माना जाता है-केवल एफ. आई. आर. का पंजीकरण अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आधार नहीं बन सकता है-आदेश को रद्द किया जा सकता है।

(पैरा 5)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिकारियों के लिए यह न्यायसंगत और निष्पक्ष होता कि वे तीन महीने का नोटिस देकर याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय

लेने से पहले जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अधिकारी समिति के समक्ष रखते, विशेष रूप से वर्तमान जैसी स्थिति में जहां जांच रिपोर्ट पहले से ही उपलब्ध थी, अन्यथा भी, जब आरोप-पत्र में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं की गई थी, तो क्या यह कहा जा सकता था कि याचिकाकर्ता एक मृत लकड़ी थी जिसे काटने की आवश्यकता थी।जवाब नकारात्मक होना चाहिए।यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को पहले से ही समाप्त विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी और दंड देने वाले प्राधिकारी के निष्कर्षों को ध्यान में रखे बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया गया है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी को चेतावनी जारी की गई थी।

अभिनिर्धारित किया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामले विचाराधीनता रहने से राज्य को विवादित आदेश को बनाए रखने में कोई सहायता नहीं मिलती है।विभागीय जाँच में इन आरोपों की जाँच की जा रही थी जिसमें याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया था।केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज किया गया है, उसे तीन महीने का नोटिस देकर अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, जैसा कि पहले से ही नोटिस किया गया है, यह अधिकारी की ओर से अपराध के प्रमाण की अनुपस्थिति में में भी सजा के बराबर होगा।समयपूर्व सेवानिवृत्ति कोई सजा नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल रिट याचिका में यह प्रस्ताव रखा गया है|

(i) मामले के रिकॉर्ड की मांग की जा सकती है;

(ii) उत्तरदाताओं को पूर्व नोटिस जारी किया जाए साथ;

(iii) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से मुक्ति दी जाए;

(iv) इसे रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति की एक रिट जारी की जाए आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/एल और पी/2;

(v) एक और निर्देश जारी किया जाए कि यदि लंबित रहने के दौरान इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त है तो वह है,पूर्ण वेतन और भत्ते और अन्य परिणाम के हकदार- सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात 58 वर्ष तक के लिए विशेष लाभ;

(vi) यह माननीय न्यायालय कोई भी आदेश पारित कर सकता है,माननीय न्यायालय इस विशेष मामले को उपयुक्त एवं उचित मान सकता है, इस मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ;

(vii) इस याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए;

यह भी प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान न्यायाधीश के हित में आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/एल और पी/2 के संचालन पर रोक लगाई जाए।

आर. के. मलिक, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता की ओर से।*

अरुण नेहरा, एडिशनल।ए. जी. हरियाणा, *प्रतिवादी के लिए।*

न्याय

जी. सी. गर्ग जे.

1. याचिकाकर्ता नोटिस संलग्नक पी-2 से व्यथित है जिसमें उसे सूचित किया गया था कि वह उसकी प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

2. याचिकाकर्ता 2 अक्टूबर, 1956 को उप-निरीक्षक, सहकारी समितियों के रूप में सेवा में शामिल हुए।13 अक्टूबर, 1969 को उन्हें निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और 1 अप्रैल, 1981 को उन्होंने दक्षता का स्तर पार किया।सरकार ने 11 दिसंबर, 1992 के पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता को तीन महीने का नोटिस या उसके बदले में तीन महीने का वेतन देने के बाद उसे सेवानिवृत्त करने का निर्देश दिया।परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को 5 जनवरी, 1993 का एक नोटिस दिया गया था।संलग्नक पी-2।इसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता, सहकारी समितियों के निरीक्षक सत्यपाल सिक्का, नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति पर हरियाणा सरकार के तहत सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

3. प्रस्ताव की सूचना जारी होने पर, सेवानिवृत्ति की सूचना को उचित ठहराते हुए लिखित बयान दायर किया गया है।याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को इस आधार पर

उचित ठहराया जाना चाहिए कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की खंड 13 (1) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है-एफ. आई. आर. संख्या 21, दिनांक 21 सितंबर, 1992 सतर्कता विभाग के कहने पर।25 अप्रैल, 1984 से 7 अक्टूबर, 1985 की अवधि के दौरान सहकारी बैंक, पंचकूला में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए चूक और कमीशन के कुछ कार्यों के लिए और उनके खिलाफ दंड और अपील नियमों के नियम 7 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी।अधिकारियों की एक समिति ने विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता को 55 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसके बाद याचिकाकर्ता को संलग्नक पी-2 के साथ नोटिस दिया गया।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि यह याचिका सफल होने के योग्य है।याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सामान्य पाठ्यक्रम में 30 नवंबर, 1994 को सेवानिवृत्त हुआ होगा।सूचना संलग्नक पी-2 द्वारा उनके सेवा कार्यकाल में लगभग डेढ़ साल की कटौती की गई है।1977-78 से 1990-91 की अवधि के दौरान, उन्होंने ग्यारह बहुत अच्छे और तीन अच्छे परिणाम अर्जित किए, जबकि पिछले 10 वर्षों के दौरान, याचिकाकर्ता ने आठ बहुत अच्छे और दो अच्छे परिणाम अर्जित किए।उनकी सेवा की अवधि के दौरान ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है।हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एक कर्मचारी को पिछले 10 वर्षों के दौरान 70 प्रतिशत अच्छी रिपोर्ट अर्जित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें ईमानदारी की शून्य रिपोर्ट संदिग्ध होती है ताकि वह सेवानिवृत्ति की तारीख तक जारी रह सके।इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को 30 जनवरी, 1992 को सजा और अपील नियमों के नियम 7 के तहत आरोप पत्र सौंपा गया था, जिस पर उन्होंने 16 जून, 1992 को अपना जवाब प्रस्तुत किया था।6 जुलाई, 1992 को एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिन्होंने 1 अक्टूबर, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन कहा कि उसने सरकारी निर्देशों के विपरीत कुछ खरीदारी की, हालांकि उक्त कार्रवाई बैंक के हित में थी।दंड देने वाला प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत था लेकिन उसने चेतावनी की सजा दी क्योंकि याचिकाकर्ता ने सरकारी निर्देशों का उल्लंघन किया था, हालांकि इस तरह का उल्लंघन बैंक के हित में था।सरकार ने स्वयं निर्देश, संलग्नक पी-5 जारी किया है कि चेतावनी/निंदा जैसी छोटी सजा कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले पर विचार करने में बाधा नहीं होगी।

5. अधिकारियों की समिति ने मामले पर विचार किया याचिकाकर्ता से पूछा जाए कि क्या वह आगे भी सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त है,में उसके द्वारा की गई चूक को

देखते हुए 55 वर्ष की आयु सहकारी निधियों का प्रबंधन, याचिकाकर्ता ने सिफारिश की तीन माह का नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जाए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जांच अधिकारी ने 1 अक्टूबर, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति के निर्णय को सरकार द्वारा *नियुक्ति* प्राधिकरण को सूचित किया गया-11 दिसंबर, 1992 के पत्र के माध्यम से।बहस के दौरान, यह रिपोर्ट सामने नहीं लाई जा सकी|जाँच अधिकारी को उस समिति के समक्ष रखा गया जिसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया, बल्कि यह स्वीकार करना पड़ा कि जब उसने याचिकाकर्ता के मामले में निर्णय लिया तो रिपोर्ट अधिकारी समिति के समक्ष नहीं थी।याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था और उसे केवल चेतावनी दी गई थी।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की खंड 13 (1) (डी) के तहत दर्ज एफ. आई. आर. भी उन्हीं आरोपों से संबंधित है जिनकी जांच जांच अधिकारी द्वारा की गई थी और जिनमें से याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया था और केवल एक चेतावनी दी गई है।ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों की समिति ने उस सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए एक राय बनाई, जिसकी अभी तक जांच की जा रही थी।जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के सरकार के निर्णय से प्रतिवादी संख्या 2 को अवगत कराया गया था।जाँच पूरी होने के बाद, याचिकाकर्ता को कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई थी।याचिकाकर्ता को तीन महीने का नोटिस देकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लेने से पहले अधिकारियों के लिए जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अधिकारी समिति के समक्ष रखना उचित और उचित था, विशेष रूप से वर्तमान जैसी स्थिति में जहां जांच रिपोर्ट पहले से ही उपलब्ध थी।अन्यथा भी, जब आरोप पत्र में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी, तो क्या यह कहा जा सकता था कि याचिकाकर्ता एक मृत लकड़ी थी जिसे काटने की आवश्यकता थी।जवाब नकारात्मक होना चाहिए।यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पहले से ही समाप्त विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी और दंड देने वाले प्राधिकारी के निष्कर्षों को ध्यान में रखे बिना याचिकाकर्ता को संलग्नक पी-2 का नोटिस दिया गया है।अप्रमाणित आरोपों को साबित करते हुए और यह मानते हुए कि अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी, नोटिस दिया गया था, जो अन्य रूप से ऐसा नहीं है।याचिकाकर्ता का प्रदर्शन लगातार अच्छा और बहुत अच्छा था।जाँच उस अवधि से संबंधित थी जब वह वर्ष 1984-85 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर थे और इनमें से कोई भी आरोप साबित

नहीं हुआ है, बल्कि याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया था और केवल एक चेतावनी जारी की गई थी।इन परिस्थितियों में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता था क्योंकि यह उसके खिलाफ आरोप स्थापित किए बिना, अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी के लिए सजा के अलावा और कुछ नहीं होगा।यहां तक कि मूल मामले की विचाराधीनता भी प्रतिवादी को विवादित आदेश को बनाए रखने में कोई सहायता नहीं करती है।विभागीय जाँच में इन आरोपों की जाँच की जा रही थी जिसमें याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया था।केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज किया गया है, उसे तीन महीने का नोटिस देकर अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह होगा|अधिकारी की ओर से अपराध के प्रमाण की अनुपस्थिति में में भी सजा के बराबर है।समयपूर्व सेवानिवृत्ति कोई सजा नहीं है।यह कर्मचारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया जाता है, नवीनतम अधिक प्रासंगिक है।यह कोई कलंक भी नहीं है।हालांकि, समयपूर्व सेवानिवृत्ति का उपयोग आरोपों को साबित किए बिना किसी अधिकारी को दंडित करने के लिए एक हैंडल के रूप में *नहीं किया जा सकता है।श्री बैकुंथा* नाथ *दास और एक अन्य बनाम मुख्य जिला* चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और एक [1]अन्य (1) मामले में, शीर्ष न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले पर विचार किया और मामले पर विस्तार से चर्चा करने के बाद निर्णय के पैरा 34 में चर्चा से उभरे सिद्धांतों का विवरण दिया।हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक इन सिद्धांतों में से एक को इस प्रकार देखा जा सकता हैः–

"अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है।इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।यद्यपि उच्च न्यायालय या यह न्यायालय एक अपील न्यायालय के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट *हैं कि* आदेश पारित किया गया है (क) दुर्भावनापूर्ण या (ख) यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है या (ग) यह मनमाना है-इस अर्थ में कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगा; संक्षेप में, यदि यह एक विकृत आदेश पाया जाता है।"

6. ऊपर जो देखा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि आदेश संलग्नक पी-1 या नोटिस संलग्नक पी-2 को बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।राय तैयार करने के लिए सरकार के पास केवल एक ही सामग्री उपलब्ध थी जो विभागीय

(1) 1992 (2) R.S.J. 308

जांच विचाराधीनता रहने और विभागीय जांच में जिन तथ्यों की जांच की जा रही थी, उन पर आपराधिक मामला दर्ज करना था।याचिकाकर्ता को नोटिस, संलग्नक पी-2 दिए जाने से पहले विभागीय जांच में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था और आपराधिक मामला उसी आरोप से संबंधित है जिसकी विभागीय जांच में जांच की गई थी।इस प्रकार, वर्तमान कोई साक्ष्य का मामला नहीं है और किसी भी मामले में ऐसा मामला है जहां कोई भी उचित व्यक्ति अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने के लिए ऊपर देखी गई सामग्री पर राय नहीं बना सकता है।याचिकाकर्ता को केवल इसलिए अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि विभागीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसे चेतावनी दी गई थी क्योंकि स्वयं प्रतिवादी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, चेतावनी/निंदा का मामूली दंड पदोन्नति के लिए एक कर्मचारी के सीएएसई पर विचार करने में बाधा नहीं है।आदेश संलग्नक पी-1 और सूचना संलग्नक पी-2 मनमाना होने और बिना किसी सबूत के आधार पर रद्द किए जाने के योग्य है।

7. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के अन्य तर्क पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं है, अर्थात्, यह निर्णय करना नियुक्ति प्राधिकरण का काम था कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना था या नहीं और वह उस ओर से सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकता था।उस ओर से रिलायंस रोशन लाई गोगला बनाम वित्तीय आयुक्त, *हरियाणा और* [23]*अन्य* (2), *और भीम चंद क्लर्क बनाम* उपायुक्त, जिला *रोहतक और अन्य* (3) *पर रखा गया था।यह कहने के लिए* पर्याप्त है कि सरकार ने नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा किए गए अनुरोध पर 55 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में याचिकाकर्ता के प्रतिधारण के मामले पर विचार करने के लिए एक अधिकारी समिति का गठन किया और इन परिस्थितियों में, अधिकारी समिति ने एक निर्णय लिया जिसे सरकार द्वारा नियुक्ति प्राधिकरण को सूचित किया गया था।

8. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, इस रिट याचिका की अनुमति है।आदेश संलग्नक पी-1 और सूचना संलग्नक पी-2 को रद्द कर दिया जाता है।याचिकाकर्ता के पास अपनी लागत होगी जिसका आकलन रु। 1, 000

(2) 1968 S.L.R.650
(3) 1968 S.L.R. 798

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
बहादुरगढ़,हरियाणा